सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 27, बुधवार, शाके 1937–जून 17, 2015 *Jyaistha 27, Wendesday, Saka 1937–June 17, 2015*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 11, 2015

संख्या एफ.55( )CE/डीएलबी/15/6625:–राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 की उप धारा (4) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन कार्य को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ, जनहित में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा जारी किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन) नियम, 2000, को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नगरीय निकाय के ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन व हथालन) उपविधियाँ बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ** :–

   (i) ये उपविधियां नगरीय निकाय के ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन) उपविधियाँ – 2015 कहलायेगी।

   (ii) ये उपविधियाँ राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशन की तिथि के 30 दिवस पश्चात से प्रवृत्त होगी।

2. **लागू होना** :– ये उपविधियां राज्य की समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावशील होगी।

3. **परिभाषाएँ** :–

   (i) "बातनिरपेक्ष पाचन" (Anaerobic digestion) से ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें आक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थ का माइकोबायिल वियाजन अंतर्वलित है।

   (ii) "प्राधिकार" से "सुविधा के प्रचालक" को बोर्ड या समिति द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है।

   (iii) "जैव निम्नकरणीय पदार्थ" से वह पदार्थ अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है।

   (iv) "जैविक, मीथेनीकरण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एन्जाईमी विघटन करती है।

   (v) "संग्रहण" से संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाना और हटाया जाना अभिप्रेत है।

   (vi) "कचरा खाद बनाने" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्मजैविक निम्नकरण अंतर्वलित है।

   (vii) "ढहाने तथा निर्माण संबंधी अपशिष्ट" से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने संबंधी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोडियों और मलबे से उदभूत अपशिष्ट अभिप्रेत है।

   (viii) "व्ययन" से भूजल सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अंतिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

   (ix) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है।

   (x) "अपशिष्टों के उत्पादक" से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है।

   (xi) "भूमिवरण" से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उडने वाली धूल, हवा के साथ उडने वाला कूडा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजायन की गई सुविधा में अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान अभिप्रेत है।

   (xii) "निक्षालितक" से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कषण किया है।

(xiii) "लाईसोमीटर" से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उसमें जल की गति मापने के लिए किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणवत्ता विश्लेषक के लिए अन्तःस्त्राव जल के एकत्रण के लिए किया जाता है।

(xiv) "नगर पालिका प्राधिकारी" से नगरीय निकाय अभिप्रेत है, जह नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xv) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोडकर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठास या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xvi) "प्रसुविधों के प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, प्रथक्करण, भण्डारण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटान की प्रसुविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबनध और हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है।

(xvii) "गुटिकाकरण" से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे गुटिकाएं तैयार की जाती है जो ठोस अपशिष्टों से तैयार की गई लघु क्यूब या बेलनाकार टुकडों में होगें और इसके अन्तर्गत ईंधन गुटिकाएं भी आती है जिसे कचरे से प्राप्त ईंधन के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है।

(xviii) "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नए या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xix) "पुनःचक्रण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को कचरा खाद में परिवर्तन करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(xx) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(xxi) "पृथक्करण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टो को वर्गो में अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxii) "राज्य बोर्ड या समिति" से यथास्थिति, किसी राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है।

(xxiii) "भण्डारण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थायी रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूडा–करकट बिखरेने, रोगवाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सकें।

(xxiv) "परिवहन" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वछता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूडा–करकट बिखेरने, रोगवाहकों की पहुंच को रोका जा सकें।

(xxv) "अधिभौम जल" से वह जल अभिप्रेत है, जो भू सतह तथा भौम जल स्तर के मध्य अर्थात् असतृप्त क्षेत्र में होता है।

(xxvi) "कृमि कचरा खाद बनाना" जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए केंचुओं को उपयोग में लाने की प्रक्रिया है।

(4) नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण :–

(i) समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थानों से उपसर्जित नगरीय ठोस अपशिष्टों के उदगम स्थल पर ही पृथक–पृथक सूखा व गीला कचरा उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही निर्धारित समय पर उनको डोर टू डोर संग्रहण की उपलब्ध करवाई गई सेवा को मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा ताकि आम सडकों, मार्गो पर निगम द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गन्दगी कूडा–करकट नहीं फैंले अन्यथा एन्टी लिटरिंग केरीयंग चार्जेज मौके केरिंग चार्ज वसूल किया जा सकेगा। पुनरावृत्ति पर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(ii) नगरीय निकाय द्वारा समय–समय पर नागरिकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु नगर निगम स्थानीय सेनिटेशन वेलफेयर, ऐसासियेशन, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, नगरीय निकाय से अनुबंधित सफाई के संविदाकारों तथा नागरिकगणों को समझाने एवं कचरा

पृथक्करण कर भण्डारित करने व विधिवत परिवहन कराने के लिए प्रोत्साहित करने को अधिकृत होगा।

(5) **नगरीय ठोस अपशिष्टों को भण्डारण :–** राज्य के सभी नगरीय निकाय अपने स्तर पर अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रीय संविदाकारों के माध्यम से ठोस अपशिष्टों के भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जिससे कि इसके आस–पास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हो। भण्डारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा :–

(i) निर्दिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी परन्तु दो भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम दूरी 500 मीटर की होगी और 01 किलोमीटर की परिधि में अधिकतम 05 से ज्यादा भण्डारण की सुविधा नहीं हागी। भण्डारण सुवधिा मोबाईल ढक्कन द्वारा कन्टेनर के रूप में ऐसे स्थान पर ही होगी जहां प्रयोक्त पहुंच सकें।

(ii) नगर निगम /परिषद् /पालिका द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि इकट्ठा किया गया कूडा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो सौन्दर्यपरक रूप से प्रयोंक्ता को स्वीकार्य हो एवं उसे कूडादान के भीतर ही अपना कचरा खाली करने के लिए प्रेरित करें।

(iii) नगर निगम /परिषद् /पालिका द्वारा निर्धारित कूडादान स्थलों पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार रंग के पृथक–पृथक कन्टेनर भी रखवाये जा सकते है –

(ए) हरा -- जैव निम्नीकरण अपशिष्टों हेतु।

(बी) सफेद – पुनः चकणयोग्य अपशिष्टों हेतु।

(सी) काला/पीला/नीला – अन्य साधारण अपशिष्टों हेतु।

इन कन्टेनरों से कूडे/अपशिष्टों के हथलन निकाले जाने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजाईन के केरीयर वाहन, काम्पेक्टर उपयोग में लिये जायेगें।

(iv) शहर में स्थित सभी कॉपरेटिव सोसाईटिज, एसोसियेशन, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनरस जिसकी डिजाइन नगरीय निकाय से अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित करें ताकि वहां उत्सर्जित दैनिक कचरे का भली–भांति भण्डारण हो सकें। जिन्हें नगरीय निकाय के वाहनों से समयबद्ध खाली करवाने हेतु वे नगरीय निकाय को देय यूजर चार्जेज पर अनुबन्ध कर वाहनों की व्यवस्था करवा सकेंगें।

(v) समस्त नागरिकों का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में उत्पन्न पुनः चक्रित अपशिष्टों को क्षेत्र में कार्यशील कचरा बीनने वाले (रेगपीकर्स) नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत व्यक्ति या कबाडी को विक्रय कर दे व किसी भी स्थिति में आम सडक पर अथवा निगम के कूडादान/कन्टेनर में नहीं डालें।

(vi) कार्यवाही राज्य की गर निगम /परिषद /पालिका अन्य व्यवस्था द्वारा (बीओटी/वीजीएफ/स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशो के आधार पर) की जायेगी और इस व्यवस्था का सभी संस्थानों को नगरीय निकायों द्वारा अनुमोदित यूजर चार्जेज देकर अपनाना होगा अन्यथा ऐसे ठोस अपशिष्ट फैलाने वालों से केरींग चार्जेज मौके पर तत्काल वसूल किया जा सकेगा अथवा अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(vii) बूचडखानों, मांस–मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट का जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है। प्रबन्ध इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाया जा सकें और इनमें कोई संकामक बीमारियां नहीं फैले। इसको सुनिशिचित करने के लिए ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपने प्रबन्धन कर इनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना होगा अथवा नगरीय निकायो द्वारा डोर टू डोर ऐसे अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन व निस्तारण हेतु लागू योजना को अपनाकर इसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केरियंग को अपनाकर इसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केरियंग चार्जेज मौके पर वसूल किये जा सकेगें अथवा न्यायलय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(viii) जैव चिकित्सीय, अपशिष्टों तथा औधोगिक अपशिष्टं को नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जायेगा और ऐस अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जावेगा।

जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के नियमानुसार निस्तारण हेतु विभिन्न निकायो में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट सुविधा (CBWTF) लागू की गई है/की जा रही है। उपलब्ध करवाई गई कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी (CBWTF) संयंत्र से देय निर्धारित शुल्क पर ऐसे हानिकारक अपशिष्टों का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

(ix) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को ट्राई साईकिल रिक्शे अथवा ऑटो टिपर गाडियों से निर्धारित सामुदायिक कूडाघर/ढके हुए कन्टेनरों से प्रसंस्करण प्लांट पर डलवाया जायेगा।

(x) बागवानी और निर्माण/ढहाए गये कार्यो से उदभूत अपशिष्टो/मलबे को अलग-अलग संग्रहित किया जायेगा एवं समुचित मानको के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा। नगरीय निकाय द्वारा इस हेतु सप्ताह में एक दिवस निर्धारित कर अपेक्षा की जायेगी कि बागवानी से अपशिष्टो को नगरीय निकाय के निर्धारित नजदीक के कूडाघर पर मध्यान्ह तक आवश्यक रूप से डलवा दिया जाये ताकि उनका समय पर परिवहन सम्भव हो सकें। निजी निर्माण/ढहाये गये मकानों के शेष अपशिष्ट अपने स्वयं के प्रबन्धन पर अथवा नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत संविदाकार को देय निर्धारित शुल्क पर परिवहन करवाकर निर्धारित चिन्हित गंतव्य स्थल तक पहुंचाना होगा। खुले स्थलों, मार्गो, सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से अपना ऐसा निजी मलबा डालना/रखना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय होगा।

(xi) अपशिष्ट (कूडा करकट, सूखी पत्तियों) को जलाया नहीं जायेगा।

(xii) आवारा पशुओं को अपशिष्ट कूडादान स्थलों अथवा शहर में किसी अन्य स्थान के आसपास मूकरूप से घूमने नहीं दिया जायेगा तथा उनका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

(xiii) कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी कीचड पानी नाईट सोईल गोबर, मलमूल, दूषित जल अपने परिसर में इस प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक मार्गो पर बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की सम्भावना रहे अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरूद्ध तत्काल कैरिंग चार्ज वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

(xiv) कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक पार्को इत्यादि में एकत्रित कर किसी प्रकार का प्रदूषण गंन्दगी नही फैलाते हुऐ पाया जाता है तो दण्डनीय उपराध होगा और उससे कैरिंग चार्ज भी वसूला जायेगा।

(6). नगरीय निकायो का दायित्व –

(i) नगरीय प्रशासन द्वारा नगर निगम /परिषद् /पालिका सीमा में स्थित सभी सार्वजनिक मार्गों, स्थलों, कच्ची बस्तियों, झुग्गी झोपडी, क्षेत्रों, बाजारों, पर्यटक स्थलों के आसपास नगरीय निकाय के स्वयं के उद्यानों, शमशान इत्यादि में प्रतिदिन व सम्पूर्ण वर्षभर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं यहां से एकत्रित किया गया कचरा कूडा, नजदीक के घोषित कूडादान/कन्टेनर में एकत्रित करवाया जाकर वहां से प्रतिदिन उसका परिवहन अन्तिम निस्तारण स्थल तक बंद वाहनों में करवाने के लिए प्रतिबद्ध होगी जिसके लिए नगरीय निकाय अपने स्वयं के स्थाई सफाई कर्मचारियों एवं वाहनों के लिए अन्य सफाई कर्मचारी रहित कॉलोनियों, क्षेत्रों में नेजी संविदाकार से सम्पूर्ण अथवा आंशिक दैनिक सफाई कार्य करवाने के लिए अधिकृत होगी ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा जन स्वास्थ्य के हित में स्वच्छता व सुन्दरता सुनिश्चित करने में समर्थ हो सके।

(ii) शहर की दैनिक सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था के प्रबंन्धन हेतु नगरीय निकाय अपने शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड कार्यालय (शिकायत केन्द्र) आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर कूडादान/कन्टेनर सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय) सामुदायिक कूडादान कचरे को ट्रांसफर स्टेशन शहर के कूडे के अन्तिम निष्कासन हेतु कचरागाह/लेण्डफील) प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि स्थापित करने को स्वतंत्र होगा।

नगरीय निकाय के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन निर्धारित प्रावधानो के तहत किया जायेगा तथा जिसे सम्बन्धित अपशिष्ट निर्माता द्वारा अपनाया जावेगा।

(7) नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण – नगरीय निकाय क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूडा करकट फैलाना प्रतिषेध होगा। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों मार्गो, निजी खुले स्थलों, पार्को, पानी के स्त्रोंतो इत्यादि पर गन्दगी कूडा–करकट फैलाते व रखते पाया गया तो नगरीय निकाय के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो, संलग्न **"अनुसूची–अ"** में घोषित/समय–समय पर नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित, केरिंग चार्जेज ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने का सक्षम होगा। नगरीय निकाय द्वारा इस हेतु :–

(i) नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 की पालना मे घर–घर से कचरा एकत्रित करने के लिये " स्वच्छता मित्र आपके द्वार" योजना निगम/परिषद/पालिका के सभी क्षेत्रो/एरिया/वार्डो में लागू की जावेगी।

(ii) घर–घर से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जावेगा। सामान्यतः समय प्रातः 7.00 से 11.00 बजे तक निर्धारित किया जावेगा। किन्तु विशेष सफाई के प्रयोजनार्थ स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित समय की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रत्येक कचरा संग्रहण कार्यकर्ता की ट्राई साईकिल पर घंटी/भोंपू (जिसकी आवाज अनुज्ञेय मानदण्ड से अधिक ना हो) भी लगाया जावे ताकि कचरा संग्रहण के समय इसे बजाकर निवासियो को सूचित किया जा सके।

(iii) व्यावसायिक क्षेत्रो मे व्यापारिक प्रतिष्ठानो/दुकानो से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक रखा जावेगा।

(iv) घर–घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर–घर से कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरे तय की जाती है:–

क्र. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	सहयोग राशि (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह		
		नगर निगम क्षेत्र/प्रतिमाह	नगर परिषद क्षेत्र/प्रतिमाह	नगरपालिका क्षेत्र/प्रतिमाह
1	2	3	4	5
1.	50 वर्गमीटर क्षेत्र. तक के मकान	20/– रूपये	15/–रूपये	10/–रूपये
2	50 व.मी. से अधिक व 300 क्षेत्र. व.मी. तक के मकान	80/– रूपये	50/–रूपये	40/–रूपये
3.	300 व.मी. से अधिक क्षेत्र. के मकान .	150/– रूपये	100/–रूपये	50/–रूपये
4.	व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, खानपान के स्थान (ढाबा/मिठाई की दुकान/ .कॉफी हाउस इत्यादि)	250/–रूपये	200/–रूपये	150/–रूपये
5.	गेस्ट हाउस,	750/–रूपये	500/–रूपये	250/–रूपये
6.	छात्रावास (Hostal)	500/–रूपये	400/– रूपये	250/– रूपये
7.	होटल रेस्टोरेन्ट (Unstar)	750/–रूपये	500/– रूपये	300/– रूपये
8.	होटल रेस्टोरेन्ट (3 star तक)	1500/–रूपये	1000/– रूपये	800/– रूपये
9.	होटल रेस्टोरेन्ट (star से अधिक)	3000/–रूपये	2000/– रूपये	1500/– रूपये
10.	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेंस, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि	700/– रूपये	500/– रूपये	250/– रूपये
11.	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज (50 बेड तक)	2000/– रूपये	1500/– रूपये	1000/– रूपये
12.	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज (50 बेड से अधिक)	4000/– रूपये	3000/– रूपये	2500/– रूपये
13.	लघु व कुटीर उद्योग वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ठ 10 कि.ग्रा. प्रतिदिन	750/– रूपये	500/– रूपये	400/– रूपये
14.	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गेर खतरनाक) अवशिष्ठ	1500/– रूपये	1000/– रूपये	800/– रूपये
15.	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक	2000/– रूपये	1500/– रूपये	1000/– रूपये

1	2	3	4	5
16.	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल	5000/- रूपये	4000/- रूपये	3000/- रूपये
17.	अन्य, जो ऊपर चिन्हित नही हैं।	नगरीय निकाय के आकलन के अनुसार		

उक्त दरों में प्रति तीन वर्ष बाद न्युनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(v) घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से वार्ड/क्षेत्र की अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जावेगा। उक्त दरो का संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार-प्रसाद किया जावेगा एवं दरो को रिक्शा ट्रोली/ऑटो ट्रिपर पर भी प्रदर्शित किया जावेगा। अधिकृत संस्था/व्यक्ति को रिक्शा ट्रोली/ऑटो ट्रिपर पर संस्था/व्यक्ति का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना होगा।

(vi) संस्था/व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।

(vii) होटल/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित झुग्गी झोपडी तथा इधर-उधर फैले क्षेत्रों/बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करने हेतु व्यवस्था की जावेगी। इन संस्थानों से उत्सर्जित बायो डिग्रेडेबल सब्सटेन्स के उदगम स्थल से बन्द वाहनों में एकत्रित कर, बन्द वाहनों से परिवहन कर नियमानुसार इनके अन्तिम निस्तारण स्थल पर ले जाया जायेगा।

(viii)इन कन्टेनर के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई धराई किया जाना प्रतिबद्ध करना आदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक रूप से ध्यान मे रखते हुये समुचित पूर्ण सावधानी के अधीन मानव द्वारा उठाई धराई की जा सकेगी।

(ix) किसी भी व्यक्ति द्वारा जनसुविधा के लिए नगर निगम/परिषद्/पालिका द्वारा सडको/मार्गो/पार्को इत्यादि पर अपशिष्टों का भण्डारण हेतु उपलब्ध करवाये गये लीटर ब्रिस, कन्टेनर के भीतर कचरा न डालकर जानबूझकर कचरा बाहर फैलाना निषेध होगा व ऐस पाये जाने वाले मौके पर ही केरीयंग चार्जज वसूल किया जा सकेगा।

(x) नगरीय निकाय कन्टेनर्स रहित व्यवस्था भी कर सकेगी लेकिन ऐसे संस्थानों पर कचरा उठाने की बारम्बारता अधिक सुनिश्चित करनी होगी ताकि कचरा सडको पर पडा नहीं रहे।

(8) **नगरीय ठोस अपशिष्टों का परिवहन** :- अपशिष्टों का परिवहन करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन ऊपर से भली-भांति ढके हुए होंगे ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गो पर बिखर सके तथा इसके लिये निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जायेगा -

(i) स्थापित भण्डारक सुविधाओं से प्रतिदिन कूडा-कचरा साफ किया जायेगा। कूडादान के साथ-साथ आसपास का क्षेत्र भी साफ सुथरा रखा जायेगा।

(ii) परिवहन वाहनों का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अन्तिम व्ययन करने के पूर्व बार-बार की जाने वाली उठाई धराई से बचा जा सकें।

(9) **नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण** -- नगरीय निकाय द्वारा नगर निगम/परिषद /पालिका क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्वीकृति प्राप्त कर विधिवत आवंटित अथवा प्राप्त स्थलों पर स्वीकृत समुचित तकनीकी अथवा ऐसी विविध तकनिको को अपनाते हुये जिससे कि भूमि भरण पर भार कम किया जा सके के लिए निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जा सकेगा :-

(i) जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिये कम्पोस्टिंग वर्मिकम्पोस्टिंग वात निरपक्ष पाचन अथवा अन्य किसी उपयुक्त जैविक संसाधन अपनाकर प्रसंस्कृत किया जा सकेगा जिससे नगरीय निकाय स्वयं अपने स्तरसे अथवा किसी भी संस्था को लाईसेंस प्रदान कर बीओटी/ओ.ओ. पद्धति से कार्य करवा सकेगा।

(ii) पुनः प्राप्त संसाधनों वाले मिश्र अपशिष्ट के लिये रीसायकलिंग प्रक्रिया अपनाते हुए विशिष्ट मामलों में अपशिष्ट प्रक्रिया के लिए इनसीनरेशनके साथ अथवा उसके बिना ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पेलेटाईजेशन के प्लांट अथवा और कोई नवीनतम पद्धति है तो स्वयं या कोई सुविधा प्रचालक बीओटी/बी.ओ.ओ.टी. पद्धति पर स्थापित करने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से तकनीकी अनुमोदन करवाकर किसी संस्था को अधिकृत लाईसेंस जारी कर सकेगा।

(10) **नगरीय ठोस अपशिष्टों का व्ययन** :- भूमिभरण में जैव अनिम्नोकरणीय निष्क्रिय अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को जो न तो पुनःचक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिए समुचित है निर्वधित रखा

जावेगा। भूमिभरण अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसस्करण पूर्व छोडे गये अपशिष्ट से भी बचा जायेगा जब तक उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिये उपयुक्त न पाया जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा वैकल्पिक सुविधाये स्थापित किये जाने तक नगर निगम/परिषद्/पालिका अपने लैण्डफील साईट पर निर्धारित मानदण्डों को अपनाते हुए भूमिकरण कर सकेगा।

(11) **अभियोजन/शास्तियां :–** नगरीय निकाय के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन की उपविधियां, 2015 के उपरोक्त किसी भी उपविधि की पालना नहीं करने अथवा उसका उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत् अभियोजन किया जा सकेगा तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 पर तत्धीन निर्मित नियमो के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के लिए पर्यावरण विभाग को सिफारिश कर सकेगा। साथ ही नियम उपनियम समिति ऐसे कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अपनी अनुशंषा भी सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा जिन्होने कैरिंग चार्ज वसूल करने में कोई अनियमितता अथवा लापरवाही बरती हो।

(12) **निरसन और व्यावृतिया:–** (1) इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् जयपुर नगर निगम के ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन) उपविधियॉ, 2005 तथा इस संबंध में अन्य नगर निगम/परिषद/पालिका में इसी प्रकार की इस विषय से संबंधित किसी भी नाम से प्रवृत उपविधियॉ इसके द्वारा निरस्त की जाती है।

(2) इन उपविधियों के प्रवर्तन आने से पूर्व में निश्चित उपविधियों के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नही समझा जायेगा। वशर्त की ऐसा कार्य इन उपविधियों के विपरीत न हो।

(3) ऐसा निरसन इस प्रकार निश्चित उपविधियों के अधीन की गई किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, दी गई किसी शस्ति, समपरव या किये गये किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही को प्रभावित नही करेगा।

"अनुसूची – अ"

उपविधियों के उल्लंघन में किए गए कृत्यों के लिए निर्धारित कैरिंग चार्ज

क्र.सं.	कृत्य	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका
1	2	3	4	5
1.	रहवासीय भवनों के निवासियों	100 रूपये प्रतिदिन।	75 रूपये प्रतिदिन	50 रूपये प्रतिदिन
2.	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन	250 रूपये प्रतिदिन
3.	रेस्टोरेन्ट मालिकों खुला कचरा डालने	2000 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन
4.	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर	2000 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन
5.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर	5000 रूपये प्रतिदिन	2500 रूपये प्रतिदिन	1500 रूपये प्रतिदिन
6.	हलवाई, चाट, पकोडी, फास्ट फूड आइसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य ज्यूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों पर	100 रूपये प्रतिदिन	75 रूपये प्रतिदिन	50 रूपये प्रतिदिन
7.	सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने वालो पर	200 रूपये एक बार	100 रूपये एक बार	50 रूपये एक बार
8.	गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर	5000 रूपये प्रतिदिन	2500 रूपये प्रतिदिन	1500 रूपये प्रतिदिन
9.	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन	250 रूपये प्रतिदिन
10.	निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सडकों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन	250 रूपये प्रतिदिन
11.	सरकारी भवनो, चौराहों एवं शहर चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटो पर निजी वाणिज्यक प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें	2000 रूपये प्रतिदिन	1500 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन

1	2	3	4	5
	ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)			
12.	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर	5000 रूपये प्रतिफिट	2500 रूपये प्रतिफिट	1500 रूपये प्रतिफिट
13.	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सडक पर करने पर	5000 रूपये प्रतिदिन	2500 रूपये प्रतिदिन	1500 रूपये प्रतिदिन
14.	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नही लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	5000 रूपये प्रतिदिन	2500 रूपये प्रतिदिन	1500 रूपये प्रतिदिन
15.	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसाईयों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखनेके लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	2000 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन
16.	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसाइयों द्वारा सडक पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर आयल मिटटी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन	250 रूपये प्रतिदिन
17.	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गए जानवरों की हडिडयां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सडक, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	2000 रूपये प्रतिदिन	1500 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन
18.	आम रास्ता, सडक व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड, ऊंट, गधा, घोडे, सुअर, इत्यादि पालतु जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	500 रूपये प्रतिदिन	2500 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन
19.	शादि/विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर	5000 रूपये प्रतिदिन	2500 रूपये प्रतिदिंन	1000 रूपये प्रतिदिन
20.	आम रास्ता, सडक पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस–मछली पकाने व अंश सडक पे डालने व गन्दगी फैलाने पर	2000 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन
21.	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सडक के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सडक पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	100 रूपये प्रतिदिन	75 रूपये प्रतिदिन	50 रूपये प्रतिदिन
22.	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सडक पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	100 रूपये प्रतिदिन	75 रूपये प्रतिदिन	50 रूपये प्रतिदिन
23.	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सडक अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	5000 रूपये प्रतिदिन। उपविधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजना भी चलाया जा सकेगा।	2500 रूपये प्रतिदिन। उपविधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजना भी चलाया जा सकेगा।	1500 रूपये प्रतिदिन। उप विधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजना भी चलाया जा सकेगा।
24.	आमरास्ता, सडक, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन	250 रूपये प्रतिदिन
25.	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना इत्यादि आम रास्ता, सडक फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर	2000 रूपयें प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन

1. मकानबासियों द्वारा कचरा डालने पर केरिंग चार्जेज 100/– रूपये प्रतिदिन।
2. दुकानदारों द्वारा सडक पर कचरा डालने पर केरिंग चार्जज 250/– रूपये प्रतिदिन।
3. रेस्टोरेन्ट मालिकों द्वारा सडक पर खुला कचरा डालने पर केरिंग चार्जेज 400 रूपये प्रतिदिन।
4. होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर कैरिंग चार्जेज 500/–रूपये प्रतिदिन।
5. औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर कैरिंग चार्जेज 1000/– रूपये प्रतिदिन।

6. हलवाई, चाट, पकोडी, फास्ट फूड आईसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य ज्यूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों से 100/– रूपये प्रतिदिन।
7. सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने वालो पर 200/– रूपये एक बार।
8. गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर 500/– रूपये प्रतिदिन।
9. निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर 200/– रूपये प्रतिदिन।
10. निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सडकों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर 1000/– रूपये प्रतिदिन।
11. सरकारी भवनो, चौराहों एवं शहर चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटो पर निजी वाणिज्यक प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर) 1500/– रूपये प्रतिदिन।
12. बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर 1500/– रूपये।
13. अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सडक पर करने पर 100/– रूपये प्रतिदिन।
14. अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर 500/– रूपये प्रतिदिन।
15. क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसाईयों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखनेके लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर 500/– रूपये प्रतिदिन।
16. दुकानदार अथवा ठेला व्यवसाइयों द्वारा सडक पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर आयल मिटटी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर 100/– रूपये प्रतिदिन।
17. मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गए जानवरों की हडिडयां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सडक, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर 1000/– रूपये प्रतिदिन।
18. आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड, ऊंट, गधा, घोडे, सुअर, इत्यादि पालतु जानवरों से गन्दगी फैलाने पर 200/– रूपये प्रतिदिन।
19. शादि विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर 1000/– रूपये प्रतिदिन।
20. आम रास्ता, सडक पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस–मछली पकाने व अंश सडक पे डालने व गन्दगी फैलाने पर 1000/– रूपये प्रतिदिन।
21. सार्वजनिक स्थान, जमीन व सडक के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सडक पर डालने व गन्दगी फैलाने पर 100/– रूपये प्रतिदिन।
22. हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सडक पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर 100/– रूपये प्रतिदिन।
23. दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सडक अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर 2500/– रूपये प्रतिदिन/उपविधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजना भी चलाया जा सकेगा।
24. आमरास्ता, सडक, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाते है। जिनसे केरिंग चार्जेज के रूप में 100/– रूपये प्रतिदिन वसूल किये जायेगें।
25. प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना इत्यादि आम रास्ता, सडक फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाते है। जिससे केरिंग चार्जेज के रूप में प्रतिदिन 500/– रूपये वसूल किये जायेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,
पुरूषोत्तम बियाणी,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।